

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 1(16)ग्रावि/नरेगा/वाकायो/13-14/2012

जयपुर, दिनांक

9 OCT 2012

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषय :- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत वार्षिक कार्य योजना एवं श्रम बजट 2013-14 के संबंध में।


प्रसंग :- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 17.09.2012

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत कार्यों के सम्पादन हेतु कार्य के वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित करने हेतु निर्देश प्रदान किये गये थे। इस संबंध में योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों के अतिरिक्त अन्य विभागों की भागीदारी सुनिश्चित करने एवं अधिक कार्य कराने के संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 31.08.2012 को एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें योजनान्तर्गत अन्य विभागों की भागीदारी हेतु कार्यों को चिन्हित किया गया था। बैठक की कार्यवाही विवरण संलग्न कर निवेदन है कि बैठक के निर्णयानुसार कार्य आगामी वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित करावे, जिससे योजनान्तर्गत विभागीय भागीदारी को बढ़ाया जा सके।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


भवदीय


(एन.के.गुप्ता)

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम), ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. समस्त अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा जयपुर/जोधपुर।
3. रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम), ईजीएस

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3 महात्मा गांधी नरेगा)

बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 31.08.2012

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों के अतिरिक्त अन्य विभागों की भागीदारी सुनिश्चित करने एवं अधिक कार्य कराये जाने के संबन्ध में एक बैठक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 31.08.2012 को आयोजित की गई। बैठक में निम्न अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया :-

1. श्री वी.एस.सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग।
2. श्री सी.एस.राजन, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
3. श्री डी.बी.गुप्ता, प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग।
4. श्री ओ.पी.सैनी, प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग।
5. श्री जे.सी.मोहन्ती, प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग।
6. श्री अभय कुमार, आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस।
7. श्री एन.के.गुप्ता, अतिरिक्त आयुक्त प्रथम, ईजीएस।
8. श्री जगरूप सिंह यादव, निदेशक, उद्यानिकी।
9. श्री खजान सिंह, परि.निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस।
10. श्री एम.एल.वर्मा, अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग।

सर्वप्रथम अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अन्य विभागों की भागीदारी की वर्तमान स्थिति एवं विभागों से अपेक्षित कार्यवाही के संबन्ध में अवगत कराया गया। तत्पश्चात बैठक में एजेण्डा बिन्दुओं पर चर्चा उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

1. संबन्धित विभागों द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत सम्पादित कराए जाने वाले कार्यों को वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित कराए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
2. योजनान्तर्गत इन विभागों द्वारा ना केवल कियान्वयन एजेन्सी के रूप में कार्य किया जायेगा बल्कि विभाग की अन्य योजनाओं के साथ कन्वर्जेन्स भी किया जायेगा ताकि महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप ग्राम पंचायत स्तर पर सामग्री मद में व्यय 40 प्रतिशत से अधिक सुनिश्चित किया जा सके।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उनके विभाग के द्वारा प्रायः मानसून के मौसम के दौरान कार्य सम्पादित कराए जाते हैं एवं इस दौरान योजनान्तर्गत रोजगार की मांग कम होने के कारण श्रमिकों की उपलब्धता कम रहती है, जिसके कारण विभाग की भागीदारी कम रह पाती है। विचार विमर्श उपरान्त निम्न प्रकार के कार्य योजनान्तर्गत कराए जाने एवं आगामी वार्षिक कार्य योजना में जोड़े जाने का निर्णय किया गया :-

- वन क्षेत्र के क्लोजर का कार्य,
- वन क्षेत्र में जल संरक्षण तथा नमी रोकने के कार्य,
- नर्सरी विकास के कार्य,
- वन क्षेत्र के मैनेजमेंट प्लान के अनुसार अपेक्षित ग्रेवल से निर्माण,
- माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार नदी, नालों के बहाव क्षेत्र के Demarcation के लिए वृक्षारोपण के कार्य,
- सेवन घास उत्पादन के कार्य।

इसके अतिरिक्त श्रमिकों के मजदूरी भुगतान में विलम्ब को रोकने के लिए रेंजर को अधिकृत किये जाने हेतु पत्रावली वित्त विभाग को प्रेषित की जायेगी।

4. जल संसाधन विभाग के संबन्ध में निम्न प्रकार निर्णय किया गया :-

- जल संसाधन विभाग द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं को हस्तान्तरित किये गये टैंक/तालाब की मरम्मत के कार्य,
- नहरों आदि के Desilting के कार्य,
- नहरों/खालों की Lining के कार्य,
- नहर/जल संसाधन विभाग के अन्य क्षेत्र में वृक्षारोपण के कार्य।

इसके अतिरिक्त प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग द्वारा जिलों में वित्तीय स्वीकृति हेतु विभाग के लम्बित प्रकरणों की स्वीकृति जारी किये जाने का भी आग्रह किया गया।

5. सार्वजनिक निर्माण विभाग के संबन्ध में निम्न प्रकार निर्णय किया गया :-

- ग्रामीण सडकों के Berm repair एवं अन्य सुधार के कार्य,
- ग्रामीण संयोजकता के कार्य।

6. कृषि विभाग के संबन्ध में निम्न प्रकार के निर्णय लिया गया :-

- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की भागीदारी से व्यक्तिगत लाभार्थी के "अपना खेत अपना काम" के अन्तर्गत कार्य जिसमें उद्यानिकी विकास, डिग्गी निर्माण, फार्म पोण्ड निर्माण आदि के कार्य।


बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

परि.निदे.एवं उप सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

4 | 1 | SEP 2012

- 1 निजी सचिव, मुख्य सचिव।
- 2 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग।
- 3 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग।
- 5 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग।
- 6 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग।
- 7 निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस।
- 8 अतिरिक्त आयुक्त प्रथम, ईजीएस।
- 9 रक्षित पत्रावली।


परि.निदे.एवं उप सचिव, ईजीएस